



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 433 राँची, बुधवार, 14 श्रावण, 1948 (श०)
5 अगस्त, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना
30 जुलाई, 2026

सं0सं0-2/राज0 स्था0-53/2013 (खण्ड) -2490/रा0--राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-5207/वि0, दिनांक-14.08.2002, 2981/वि0, दिनांक-01.09.09 एवं संकल्प सं0-1779 दिनांक-21.05.14 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर राजस्व सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्यरत/ सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को उनकी नियुक्ति तिथि से निर्धारित वर्षों की नियमित सेवा पूरी किये जाने के फलस्वरूप उसके नाम के सम्मुख स्तंभ 5 एवं 6 में अंकित तिथि से क्रमशः द्वितीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन एवं तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति निम्नरूप से प्रदान की जाती है:-

क्र०	सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का नाम एवं पदस्थापन कार्यालय एवं GPF/PRAN NO.	नियुक्ति की तिथि	प्रथम सुनिश्चित उन्नयन की स्थिति	द्वितीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि एवं वेतनमान	तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि एवं वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	श्री उमेश्वर यादव, अंचल अधिकारी, चिनिया, गढ़वा PAL/REV/190	09.05.1988	पूर्व में दिया गया है।	पूर्व में दिया गया है।	दिनांक-09.05.2018 से अनुमान्य। (वेतनमान- PB-II 9300-34800, GP-4800 Level- 8)
2	श्री रवि भूषण प्रसाद, अंचल अधिकारी, कोडरमा DNB/REV/648	15.11.1995	पूर्व में दिया गया है।	राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली, 2018 के गठन के पश्चात् दिनांक-25.04.2018 से 9300-34800, PB-II, GP-5400 वेतनमान में प्रोन्नति/वृद्धि होने के कारण अनुमान्य नहीं।	---
3	श्री पंकज कुमार, अंचल अधिकारी, पेशरार, लोहरदगा GIR/REV 1157	09.09.1999	पूर्व में दिया गया है।	दिनांक-09.09.2019 से अनुमान्य। (वेतनमान- PB-II, 9300-34800, GP-4800 , Level- 8)	---
4	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, से०नि० सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची PAL/REV 410	17.09.1990	पूर्व में दिया गया है।	पूर्व में दिया गया है।	राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली, 2018 के गठन के पश्चात् दिनांक-25.04.2018 से 9300-34800, PB-II, GP-5400 वेतनमान में प्रोन्नति/वृद्धि होने के कारण अनुमान्य नहीं।

5	श्री जयकांत कुमार सिंह, से0 नि0 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, जमशेदपुर GIR/REV 1025	26.06.1990	पूर्व में दिया गया है।	पूर्व में दिया गया है।	राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली, 2018 के गठन के पश्चात् दिनांक- 25.04.2018 से 9300- 34800, PB-II, GP-5400 वेतनमान में प्रोन्नति/वृद्धि होने के कारण अनुमान्य नहीं।
6	श्री गौरीशंकर प्रसाद, से0 नि0 अंचल अधिकारी, चैपारण, हजारीबाग PAL/REV 131	21.04.1998	पूर्व में दिया गया है।	दिनांक- 21.04.2018 से अनुमान्य। (वेतनमान- PB-II, 9300-34800, GP-4800 Level- 8)	---

- i. उक्त वितीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक है ।
- ii. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1779/वि0, दिनांक-21.05.14 की कंडिका 5(V) के आलोक में वितीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन होने के उपरान्त ही वितीय उन्नयन का लाभ देय होगा तथा वेतन के निर्धारण का सत्यापन उक्त संकल्प की कंडिका-5(Vii) के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा ।
- iii. उपर्युक्त कार्यरत/सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदत्त ACP/MACP योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी ।
- iv. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-1365/वि0, दिनांक-07.04.2017 के आलोक में संबंधित से शपथपत्र प्राप्त है ।
- v. उपर्युक्त संशोधित सुनिश्चित वितीय उन्नयन स्वीकृति के प्रस्ताव एवं अधिसूचना प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है ।
- vi. टंकण अथवा लिपिकीय भूल का सुधार किया जा सकेगा ।

रामेश्वर लेयांगी,
सरकार के संयुक्त सचिव
